

प्ररूप – 4
नियम – 25(1) देखिये
नाम निर्देशन-पत्र

पंच/सरपंच का निर्वाचन।

पंचायत समिति जिला की पंचायत के लिए निर्वाचन
मैं इसके द्वारा नोटिस देता हूँ कि मैं स्वयं को वार्ड संख्या से उपर्युक्त
पंच/सरपंच के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में प्रस्तावित करता हूँ।

1. पूरा नाम
2. अभ्यर्थी का लिंग
3. अभ्यर्थी की जाति
- (केवल अजा./ज.जा/अ.पि.व. के व्यक्तियों द्वारा भरा जाये)
4. पंचायत का नाम तथा संबंधित वार्ड संख्या दर्शाते हुए मतदाता की क्रम संख्या
5. अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम

मैं यह और घोषित करता हूँ कि—

- (1) मैं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के उपबंधों के अधीन पंच/सरपंच के रूप में अर्ह हूँ।
- (2) मैं उक्त अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट निरर्हताओं में से किसी के भी अध्यक्षीन नहीं हूँ।
- (3) मैं अनुसूचित जातियों/अनु.जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों का हूँ/नहीं हूँ।
- (4) मैंने नियम 56(3) के अधीन अपेक्षित प्रतिभूति जमा करायी है। (केवल सरपंच के लिए लागू)

तारीख
स्थान

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा भरा जाये

* उक्त वार्ड/पंचायत की क्रम संख्या जिससे अभ्यर्थी चुनाव लड़ना चाहता है

* ऐसे वार्ड/पंचायत के लिए नाम निर्देशन-पत्र की क्रम संख्या

यह नाम निर्देशन मुझे श्री/श्रीमती/कुमारी

(अभ्यर्थी) द्वारा (तारीख) को बजे प्रस्तुत किया गया था।

रिटर्निंग अधिकारी

नाम निर्देशन-पत्र स्वीकार या नामंजूर करने का विनिश्चय

मैंने नाम निर्देशन-पत्र की परीक्षा इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार कर ली है और मेरा विनिश्चय निम्नलिखित है:-

तारीख

रिटर्निंग अधिकारी

(नाम निर्देशन-पत्र की रसीद)

उस वार्ड/पंचायत की क्रम संख्या जिससे अभ्यर्थी निर्वाचन लड़ना चाहता है ऐसे
वार्ड/पंचायत के लिए नाम निर्देशन-पत्र की क्रम संख्या जो पंच/सरपंच के रूप में
निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी है, का नाम निर्देशन-पत्र मुझे (तारीख) को बजे
श्री जिनके साथ पहचानकर्ता श्री थे, के द्वारा परिदत्त
किया गया था।

नाम निर्देशन-पत्र को (तारीख) को बजे
..... (स्थान) में संवीक्षा के लिए लिया जायेगा।

तारीख

रिटर्निंग अधिकारी

स्थान

* टिप्पण: जो संबंधित न हो कृपया उसे काट दीजिए।

प्ररूप-4 घ

(नियम 25 और 58 देखिये)

..... ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद के वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र संख्या
से पंच/सरपंच/सदस्य के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा दी जाने वाली घोषणा।

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री
आयु वर्ष निवासी
जो उक्त निर्वाचन का अभ्यर्थी है, इसके द्वारा निम्नलिखित घोषणा करता/करती हूँ:-

1. कि मैं किसी लम्बित केस (केसों) में से ऐसे अपराध (अपराधों) का अभियुक्त नहीं हूँ जो पाँच वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय है जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय (न्यायालयों) द्वारा आरोप (आरोपों) विरचित कर दिये गये है।

यदि अभिसाक्षी (अभ्यर्थी) ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित सूचना देगा:-

(i) केस/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं

(ii) पुलिस थाना (थाने)
जिला (जिले) राज्य

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारारें) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिनके लिए अभ्यर्थी आरोपित है:-

(iv) न्यायालय (न्यायालयों) जिसने आरोप (आरोपों) को विरचित किया है

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप (आरोपों) का विरचन किया है

(vi) क्या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय (न्यायालयों) द्वारा सभी या किन्हीं कार्यवाहियों में स्थगन दिया गया है

यदि हाँ, तो न्यायालय का नाम

आदेश का तारीख

क्रमशः

